कार्यालय कलेक्टर,जिला बस्तर एवं पदेन उपसचिव,छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

–: प्रारंभिक अधिसूचनाः–

कमांक क/भू–अर्जन/ 09/अ–82/2021–22 जगदलपुर, दिनांक 10 अगस्त–2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (ि एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबं व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्ले प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता

–अनुसूची–

भूमि का प्रकार					प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन क विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / प0ह0नं0	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बस्तर	बास्तानार	मुतनपाल/ 01	539 549 550	0-05 0-16 0-04	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सभांग जगदलपुर।	बाजारपार से कुमापा मार्ग के कि0मी0 3/ माढर नाला पर सेतु । पहुँच मार्ग निर्माण
योग :–			3	0.25		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचि तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में अनुविभाग अधिकारी (रा0)/भू–अर्जन अधिकारी को स्वंय अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनि 2013 की धारा 15 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा0)/भू–अर्जन अधिकारी तोकापाल/कार्यप अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।
5 प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी(रा).,तोकापाल पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(चंदन कुमार)
कलेक्टर,
जिला बस्तर
एवं पदेन उप सचिव,छ0ग0शासन,राजस्व विभाग

DARA--19